मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास
मंत्रालय

क्रमांक/ 5266

भोपाल, दिनांक 27/1/16
29

प्रति,

कलेक्टर
जिला–समस्त.
मध्यप्रदेश.

विषयः–लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत विलंब से प्राप्त आवेदनों के संबध में निर्देश।

जिलों से लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लगातार ऐसे प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं जिसमें यह दर्शाया जा रहा है कि विभागीय अमले/कार्यालयीन त्रुटियों की वजह से पात्र हितग्राहियों को तत्समय लाभ नहीं दिया जा सका। जिसके कारण हितग्राहियों द्वारा जनसुनवाई/सी एम हेल्पलाईन या अन्य फोरम पर अपनी शिकायत प्रस्तुत की जाती हैं।

ऐसे प्रकरणों के संबध में निर्देशित किया जाता है कि जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी से प्रकरणवार पृथक–पृथक नस्ती में (एक प्रकरण हेतु एक नस्ती) प्रस्तुत किये जायेगें।

कलेक्टर प्रत्येक प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण करते हुए तात्कालिक परिस्थितियों, विभागीय अभिमत, तथा शिकायतकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विशेष प्रकरण के तहत, स्वीकृति/अस्वीकृति प्रदान करेंगें। किंतु यह ध्यान रखा जाना होगा कि विभाग में प्रकरण प्राप्ति के 30 कार्यदिवस में हितग्राही को स्वीकृति/अस्वीकृति दी जावे।

प्रकरण प्रस्तुत करते समय जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा नस्ती में निम्न डाक्यूमेंट लगाये जाने अनिवार्य होंगेः–

1. आवेदक का पूर्ण विवरण जिसमें बालिका के समस्त आवश्यक डाक्यूमेंट (जैसे–जन्म प्रमाण पत्र, मध्यप्रदेश के निवासी संबधी प्रमाण पत्र, परिवार नियोजन संबधी प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो तो आदि) संलग्न होना चाहिये।

2. समय पर प्रकरण प्रस्तुति का प्रमाण (जैसे–प्राप्ति रसीद, आंगनवाडीकेन्द्र के रजिस्टर में दर्ज किये जाने का क्रमांक)संलग्न होना चाहिये।

3. यदि चिकित्सीय संबधी कोई कारण हो तो उसका प्रमाण।

4. पूर्व में यदि किसी अधिकारी/पदाधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया हो तो उसकी प्रति।

5. स्वीकृतकर्ता अधिकारी की टीप जिसमें समय पर स्वीकृत न होने का कारण दर्ज हो।

6. विलंब के लिये संबधित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण।

कृपया इस प्रकार प्रकरणों पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए निर्णय की एक प्रति संचालनालय, महिला सशक्तिकरण को अवश्य प्रेषित की जाये।

(जे. एन. कंसोटिया) 28/1/16
प्रमुख सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 27/1/16 29

पृ.क्रमांक/5267

प्रतिलिपि–

1. विकअ सह आयुक्त, संचालनालय, महिला सशक्तिकरण, भोपाल मध्यप्रदेश.
2. आयुक्त, संचालनालय, एकीकृत बाल विकास सेवा भोपाल. मध्यप्रदेश.
3. समस्त संभागीय आयुक्त, म0प्र0
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक/उप संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग
5. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी
6. समस्त परियोजना अधिकारी/खण्ड महिलासशक्तिकरण अधिकारी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्रमुख सचिव 28/1/16
महिला एवं बाल विकास विभाग